

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा ।

दिनांक-16.04.2024

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विज्ञप्ति के अनुसार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-1, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-2, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-3 व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-4, इटावा के पीठासीन अधिकारीगण का स्थानान्तरण अन्य जनपद होने के कारण पूर्व में दिनांक -23.11.2023 को पारित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश को संशोधित करते हुए **माह मई, जून, जुलाई व अगस्त 2024** में रिमाण्ड कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

क्र.सं.	पीठासीन अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी का माह
1.	श्री राजन कुमार गौड अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-5, इटावा।	मई, 2024
2.	श्री अभय सिंह अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं० - 1/न्यायिक मजिस्ट्रेट,	जून, 2024
3.	सुश्री संगीता अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट	जुलाई, 2024
4.	श्रीमती अदिति मलहोत्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-2, इटावा।	अगस्त, 2024

नोट-

1. माह अप्रैल 2024 के शेष अवकाश दिवसों में रिमाण्ड कार्य श्री अभय सिंह अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०-1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
2. माह जून, 2024 में श्री अभय सिंह अपर सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट सं०-1/न्यायिक मजिस्ट्रेट, के ग्रीष्मावकाश पर रहने की दशा में रिमाण्ड कार्य उनके प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।  
आदेश की एक प्रति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इटावा को सादर सूचनार्थ प्रेषित की जाए तथा उपर्युक्त आदेश से सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाए। तदोपरान्त गार्ड फाइल में अनुरक्षित किया जाए।

दिनांक 16.04.2024

(नीरज कुशवाहा)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
इटावा।

प्रतिलिपि :-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इटावा को सादर सूचनार्थ।
2. उपरोक्त सभी न्यायालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु।
3. जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
5. संयुक्त निदेशक अभियोजन इटावा।
6. अध्यक्ष जिला बार संघ इटावा।
7. केन्द्रीय कम्प्यूटर कार्यालय, जजी इटावा को अपलोड हेतु।